अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. श्योजीराम सैनी पुत्र श्री चौथूराम जाति माली निवासी ग्राम रामसर पालावाला तह.बस्सी जिला जयपुर

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र मांगीलाल
2. रामअवतार पुत्र मांगीलाल नाबालिग बविलायत पिता मांगीलाल जाति ब्राह्माण निवासी ग्राम मानसर खेडी तह.बस्सी जिला जयपुर।
3. लल्लूलाल पुत्र नाथू जाति ब्राह्माण निवासी ग्राम मानसर खेडी तह. बस्सी जिला जयपुर
4. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर
5. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर

**प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा**

निर्णय दिनांक 01.02.2018

मुकदमा नम्बर 465/08

पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की गत पेशी पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस सुनी गयी थी। वकील प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। कि कृषि भूमि ख0न0 399 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम मानसर खेडी तह.बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगा. 3 की कब्जे काश्त व खातेदारी की शामलाती भूमि है जिसका इन्द्राज राजस्व भू– अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 180/5596 दर हिस्सा 1/2, अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 5349/5596 , दर हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 67/5596 दर हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन करने में वादग्रस्त भूमि में से 2403 वर्ग मीटर भूमि शामलात में अवाप्त की गई तथा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुपात में खातेदारों को जारी किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी की 180/5596 हिस्से की भूमि में से 66 मीटर भूमि अवाप्त हुई जिसकी मुआवजा राशि 758/– रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्रार्थी को 50,059 /–रूपये का अदा किया गया । प्रार्थी की शेष 94 वर्ग मीटर भूमि बची है। जिस पर प्रार्थी साधिकार काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि ख0न0 399 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 2403 मीटर भूमि अवाप्त होने के पश्चात शेष रहे हिस्से की 112/5160 दर हिस्सा 1/2 की भूमि में किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें न ही अविवादित भूमि में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण कार्य करावें न हस्तान्तरित करें एवं प्रार्थी के काश्त कार्य व उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट पैदा न करे तथा राजस्व रिकार्ड एवम मौके की यथास्थिति कायम रखें।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानसरखेडी तह.बस्सी जिला जयपुर राज0 में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण के हिस्सा 1/2 का पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र मांगीलाल एवं 1/2 हिस्से का रामअवतार पुत्र मांगीलाल रिकोर्डेड एवं काबिज खातेदार काश्तकार थे। अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र मांगीलाल ने उपरोक्त मौखिक सहमति द्वारा किये गये विभाजन के उपरान्त जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2002 को वादी श्योजी पुत्र चौथूराम को ख.0न0 399 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बतफशील मुन्दर्जे बाला के अपने हिस्सा 5529/2296 दर हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 180/5596 को मय हक हकूक पूर्ण स्वामित्व के साथ मालिकाना व अधिकार देते हुए श्री श्योजीराम पुत्र चौथूराम को धन राशि 1,25,000रु में

सहायक कलेक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रे
बस्सी जिला जयपु

कतई मोल माला कलाम बेंच दिया। बेचान की गई जमीन की नाप निम्न प्रकार है:— पूर्व —पश्चिम उत्तर की ओर 38 फीट 6 ईंच व दक्षिण की ओर 40 फीट तथा उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर 35 फीट 9 ईंच तथा पूर्व की ओर 45 फीट 9 ईंच = 179(253/288) वर्गगज है। जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है:— उत्तर में:— 82 फीट रोड बाउण्ड्री छोडकर, जयपुर आगरा हाईवे, दक्षिण में:— जगदीश, रामअवतार पुत्र श्री मांगीलाल का मकान, व जगदीश पुत्र मांगीलाल की कृषि भूमि, पूर्व में:— लालाराम उर्फ लल्लूराम पुत्र नाथू की दुकाने जिनके पुख्ता चरपेटा तथा जगदीश पुत्र मांगीलाल कृषि भूमि चरपेटवा, पश्चिम में :— रामअवतार पुत्र मांगीलाल की पुख्ता बाउण्ड्री है। अप्रार्थी सं. 1 जगदीश पुत्र मांगीलाल द्वारा वादी की उपरोक्त वर्णित एवं उपरोक्त वर्णित स्थिति वाली स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया जा रहा है, न ही अप्रार्थी 1 द्वारा प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है। वर्तमान समय में प्रार्थी की जमीन राष्ट्रीय राजमाग संख्या 11 जयपुर आगरा की परिधि में आ गई है। एवं प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अपने स्वामित्व की वर्णित भूमि 180 वर्गगज का मुआवजा सक्षम न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर के न्यायालय से प्राप्त कर लिया है। और यदि सक्षम न्यायालय भूमि अवाप्ति जयपुर द्वारा प्रार्थी श्योजीराम पुत्र चौथूराम को मुआवजा कम दिया गया है तो उसकी कमी पूर्ति सक्षम न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर के न्यायालय में अर्जी प्रार्थना पत्र लगाकर प्राप्त करें । भूमि अवाप्ति अधिकारी या राजस्व कर्मचारियों कर गलत रिर्पोट के आधार पर यदि वादी को कम मुआवजा दिया गया है तो उसकी पूर्ति कानूनी रूप से न तो अप्रार्थी सं. 1 से नगदी के रूप में की जा सकती है। और न ही अप्रार्थी सं. 1 की भूमि को हड़प कर ही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा की जाने वाली उक्त समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से की जा रही है। जो कि सरसरी तौर पर निरस्तनीय एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी केवल अपने खरीदे गये भूभाग जिसका वर्णन विक्रय पत्र (दिनांक 27. 03.2002 जगदीश पुत्र मांगीलाल बहक श्योजीराम पुत्र चौथूराम ) मय संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से अकन किया है इसलिये प्रार्थी केवल मात्र खरीदे गये भू भाग के सम्बन्ध में ही वाद ला सकता है। सम्पूर्ण भूमि के बाबत प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्ष की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन एवं वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात एवं पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज का अध्ययन करने के पश्चात वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 399 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 2403 मीटर भूमि अवाप्ति होने के पश्चात शेष रहे हिस्से की 112/5160 दर हिस्सा 1/2 स्थित ग्राम मानसर खेड़ी तह.बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही समझतें है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2008 को जारी स्थगन आदेश सार हीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ हमफीता हो।

1.2.18

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जयपुर